SMT. KAMLA DEVI GAURIDUTT MITTAL MAHILA MAHAVIDYALAYA

Sardarshahar – 331403, Distt. - Churu (Rajasthan)

Website – www.mgcsrdr.com

DVV Clarification

2.1.2. *Percentage of seats filled against reserved categories (SC, ST, OBC, etc) as per applicable reservation policy for the first year admission during the last five year.*

DVV Asked - 1. Provide copy of letter issued by State government or central government indicating the reserved categories to be considered as per the state rule.
2. Provide admission extract submitted to the state OBC, SC and ST cell during the year 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22.
3. Approval of additional intake of students has to be submitted for the claim.

Signature valid
MRITYUNJAY KUMAR PAREEK
02.07.2023 14:27:43
Digitally Signed By Mrityunjay Kumar Pareek

2.1.2 - Index

1. Copy of letter issued by State government indicating the reserved categories to be considered as per the state rule.
2. Explanation note for admission extract submitted to the state OBC, SC and ST cell during the year 2017-18 to 2021-22.
3. Explanation note for approval of additional intake of students has to be submitted for the claim.
4. Admission intake year 2017-18 to 2021-22.

Signature valid
MRITYUNJAY KUMAR PAREEK
02.07.2023 14:27:43
Digitally Signed By Mrityunjay Kumar Pareek

Smt. Kamla Devi Gauridutt Mittal Mahila Mahavidyalaya

Sardarshahar – 331403, Churu (Rajasthan)

Govt. Letter for indicating the reserved categories Year 2021-22

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://htc.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांकः एफ 7(4)प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2021–22/239 दिनांकः 16 अगस्त, 2021

प्राचार्य,
समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः प्रवेश नीति सत्र 2021–22 बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अकादमिक सत्र 2021–22 हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रवेश नीति आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर की वेबसाईट पर अपलोड कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रवेश नीति के अनुरूप ही महाविद्यालय में प्रवेश कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित करें।

भवदीय,

(संदेश नायक, IAS)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/ उदयपुर।
2. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।

(डॉ. सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

General Letter Admission

Principal
Smt. Kamla Devi Gauridutt Mittal
Mahila Mahavidyalaya
Sardarshahar

Signature valid

MRITYUNJAY KUMAR PAREEK
02.07.2023 14:27:43
Digitally Signed By Mrityunjay Kumar Pareek

Year 2021-22

षष्ठम् भाग

आरक्षण, रियायतें एवं लाभ

6.1 राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछडा वर्ग (MBC) **(क्रीमीलेयर को छोड़कर)**/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण।

6.1.1 प्रत्येक संकाय की स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछडा वर्ग (MBC) **(क्रीमीलेयर** को छोडकर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिये कमशः 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 21 प्रतिशत, 5 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

6.1.2 पिछड़ा वर्ग को प्राप्त 21 प्रतिशत आरक्षण में अति पिछड़ा वर्ग भी सम्मिलित है एवं इसके अतिरिक्त अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत का अलग से स्थान देय है {संदर्भ कार्मिक (क–2) विभाग के आदेश कमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/2017 दिनांक 28.02.2019, राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के आदेश कमांक प.18(2)शिक्षा–4/2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019} /आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की पालना सुनिश्चित की जावे। {सन्दर्भ कार्मिक (क–2) विभाग के आदेश कमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/2019 दिनांक 22.02.2019, राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के आदेश कमांक प.18(2)शिक्षा–4/ 2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019}

6.1.3 **स्नातक,** स्नातकोत्तर व एम. फिल कक्षाओं में आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रोस्टर प्रणाली लागू होगी।

6.1.4 आरक्षण संबधी लाभ के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट/उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर/तहसीलदार का राजस्थान राज्य की सेवाओं में आरक्षण का लाभ लेने हेतु जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6.1.5 ओ.बी.सी./एम.बी.सी. संबंधी प्रमाण–पत्र अधिकृत अधिकारी द्वारा एक बार ही जारी किया जाता है, परन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण–पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण–पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्षो में भी क्रीमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में स्वप्रमाणित शपथ–पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण–पत्र को ही मान लिया जावेगा। ऐसा अधिकतम् तीन वर्ष **(प्रथम वर्ष मूल प्रमाण–पत्र व शपथ पत्र के साथ आगामी दो वर्षो तक)** तक किया जा सकता है। (राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का आदेश क्रमांक एफ11( )( ) आर एण्ड पी/सा.न्या.अ.वि/12/7376 – 409 दि. 24.01.2013)

6.1.6 सामान्य प्रवेश स्तर तक अंक प्राप्त करके प्रवेश पाने वाले आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की गणना संबंधित आरक्षित नियतांश (कोटे) के अन्तर्गत नहीं की जायेगी। ये सभी सामान्य योग्यता सूची में सम्मिलित किये हुए माने जायेंगे।

6.1.7 6.1.6 के अनुसार प्रविष्ट विद्यार्थियों के अतिरिक्त आरक्षित वर्ग के शेष अभ्यर्थियों को अर्हकारी परीक्षा के प्रवेश योग्यता प्रतिशत को कम करते हुए वरीयता के निम्नगामी क्रम में आरक्षित नियतांश पूर्ण होने तक प्रवेश दिया जा सकेगा।

Principal
Smt. Kamla Devi Gauridutt Mittal
Mahila Mahavidyalaya
Sardarshahar

Signature valid
MRITYUNJAY KUMAR PAREEK
02.07.2023 14:27:43
Digitally Signed By Mrityunjay Kumar Pareek

ENGLISH TRANSLATION OF ADMISSION POLICY 2021-22

Government of Rajasthan

Commissionerate College Education, Rajasthan, Jaipur

Number: F 7 (4) Admission Polocy/Acad /Com.Colg.Edu. / 2021-22/239 Date: 16 August, 2021

Principal,
All Government / Private Colleges,
Rajasthan.

Subject: Admission policy session 2021-22.

Sir,

The admission policy approved by the state government for the academic session 2021-22 under the above subject has been uploaded on the website of the Commissionerate College Education, Rajasthan, Jaipur. Conduct the admission program smoothly in the college as per the admission policy approved by the state government.

Your Sincerely

(Sandesh Nayak, IAS)
Commissioner

Copy to the following for information and necessary action:-

1. Assistant Director, Regional Office, College Education, Jaipur/Ajmer/Kota/Bikaner/Jodhpur / Udaipur.
2. Website Incharge, Commissionerate College Education, Raj, Jaipur.

Signature valid
MRITYUNJAY KUMAR PAREEK
02.07.2023 14:27:43
Digitally Signed By Mrityunjay Kumar Pareek

(Dr. Somitra Nath Jha)
Joint Director (Academic)

General Letter Admission

ENGLISH TRANSLATION HIGHLIGHTED MATTER IN ORIGNAL LETTER YEAR 2021-22

Part VI

Reservations, Concessions and Benefits

6.1 Reservation for SC/ST/OBC and More Backward Class (except creamy layer)/ Economically weaker section candidates of Rajasthan State.

6.1.1 Undergraduate, post graduate level of each faculty including law faculty and M.Phil. 16 percent, 12 percent, 21 percent, 5 percent and 10 percent seats will be reserved for SC/ST/OBC (except smooth layer)/OBC/Economically weaker section candidates respectively for admission.

Signature valid

MRITYUNJAY KUMAR PAREEK
02.07.2023 14:27:43
Digitally Signed By Mrityunjay Kumar Pareek

Smt. Kamla Devi Gauridutt Mittal Mahila Mahavidyalaya

Sardarshahar – 331403, Churu (Rajasthan)

Govt. Letter for indicating the reserved categories Year 2020-21

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक :प. 7 (4) अकाद/ आकाशि/प्रवेश नीति /2020–21/997 दिनांक : 25.6.2020

समस्त
प्राचार्य, राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान ।

विषय :– राज्य सरकार द्वारा अकादमी सत्र 2020–21 के लिए निर्धारित प्रवेश नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रवेश नीति एवं प्रवेश प्रक्रिया, केन्द्र एवं राज्य सरकार एडवाईजरी कोविड–19 के मध्यनजर अकादमी सत्र 2020–21 की प्रवेश नीति आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर की वेबसाईट पर अपलोड कर दी गई, जिसे वेबसाईट से डाउनलोड कर महाविद्यालय में प्रवेश कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित करें।

(प्रदीप कुमार बोरड)
आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :प. 7 (4) अकाद/ आकाशि/प्रवेश नीति /2020–21/ दिनांक :

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर /उदयपुर।
2. वेब प्रभारी अधिकारी आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।

(डा0. दीपक मेहरा)
संयुक्त निदेशक, अकादमिक

Principal
Smt Kamla Devi Gauridutt Mittal
Mahila Mahavidyalaya
Sardarshahar

Signature valid
MRITYUNJAY KUMAR PAREEK
02.07.2023 14:27:43
Digitally Signed By Mrityunjay Kumar Pareek

Year 2020-21

षष्ठम् भाग

आरक्षण, रियायतें एवं लाभ

6.1 राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग (MBC) (चिकनी परत को छोड़कर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों **(EWS)** के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण।

6.1.1 विधि संकाय सहित प्रत्येक संकाय की स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग **(MBC)** (चिकनी परत को छोडकर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग **(EWS)** के अभ्यर्थियों के लिये क्रमशः 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 21 प्रतिशत, 5 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

6.1.2 पिछड़ा वर्ग को प्राप्त 21 प्रतिशत आरक्षण में अति पिछड़ा वर्ग भी सम्मिलित है एवं इसके अतिरिक्त अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत का अलग से स्थान देय है {संदर्भ कार्मिक (क–2) विभाग के आदेश क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/2017 दिनांक 28.02.2019, राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के आदेश कमांक प.18(2)शिक्षा–4/2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019} /आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की पालना सुनिश्चित की जावे। {सन्दर्भ कार्मिक (क–2) विभाग के आदेश क्रमांक प. 7(1)कार्मिक/क–2/2019 दिनांक 22.02.2019, राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के आदेश कमांक प.18(2)शिक्षा–4/ 2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019}

6.1.3 स्नातकोत्तर व एम. फिल कक्षाओं में आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रोस्टर प्रणाली लागू होगी।

6.1.4 आरक्षण संबधी लाभ के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट/उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर/तहसीलदार का राजस्थान राज्य की सेवाओं में आरक्षण का लाभ लेने हेतु जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6.1.5 ओ.बी.सी./एम.बी.सी. संबधी प्रमाण–पत्र अधिकृत अधिकारी द्वारा एक बार ही जारी किया जाता है, परन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने संबधी प्रमाण–पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण–पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्षों में भी क्रीमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में स्वप्रमाणित शपथ–पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण–पत्र को ही मान लिया जावेगा। ऐसा अधिकतम् तीन वर्ष तक किया जा सकता है। (राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का आदेश क्रमांक एफ11( )( ) आर एण्ड पी/सा.न्या.अ.वि/12/7376–409 दि. 24.01.2013)

6.1.6 सामान्य प्रवेश स्तर तक अंक प्राप्त करके प्रवेश पाने वाले आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की गणना संबधित आरक्षित नियतांश (कोटे) के अन्तर्गत नही की जायेगी। ये सभी सामान्य योग्यता सूची में सम्मिलित किये हुए माने जायेंगे।

6.1.7 6.1.6 के अनुसार प्रविष्ट विद्यार्थियों के अतिरिक्त आरक्षित वर्ग के शेष अभ्यर्थियों को अर्हकारी परीक्षा के प्रवेश योग्यता प्रतिशत को कम करते हुए वरीयता के निम्नगामी क्रम मे आरक्षित नियतांश पूर्ण होने तक प्रवेश दिया जा सकेगा।

Principal
Smt Kamla Devi Gauridutt Mittal
Mahila Mahavidyalaya
Sardarshahar

Signature valid
MRITYUNJAY KUMAR PAREEK
02.07.2023 14:27:43
Digitally Signed By Mrityunjay Kumar Pareek

ENGLISH TRANSLATION OF ADMISSION POLICY 2020-21

Government of Rajasthan

Commissionerate College Education, Rajasthan, Jaipur

Number: P 7 (4) Acad /Com.Colg.Edu. / Admission Policy / 2020-21/997 Date: 27.06.2020

Principal,
All Government / Private Colleges,
Rajasthan.

Subject: Admission policy prescribed by the State Government for the academic session 2020-21.

Sir,

According to the above mentioned instructions, the admission policy and admission process prescribed by the state government, in view of the central and state government advisory COVID-19, academic session 2020-21 was uploaded on the website of the Commissionerate College Education, Raj, Jaipur, By downloading it from the website conduct the admission program smoothly in the college under the admission process approved by the state government.

(Pradeep Kumar Borad)
Commissioner
College Education, Rajasthan, Jaipur

Number: P 7 (4) Acad / Pvt.Colg.Edu. / Admission Policy /2020-21/ Date:

Copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Assistant Director, Regional Office, College Education, Jaipur/Ajmer/Kota/Bikaner/Jodhpur / Udaipur.
2. Website Incharge, Commissionerate College Education, Raj, Jaipur.

Signature valid
MRITYUNJAY KUMAR PAREEK
02.07.2023 14:27:43
Digitally Signed By Mrityunjay Kumar Pareek

(Dr. Deepak M[illegible]ra)
Joint Director (Acad[illegible]c)

ENGLISH TRANSLATION HIGHLIGHTED MATTER IN ORIGNAL LETTER YEAR 2020-21

Part VI
Reservations, Concessions and Benefits

6.1 Reservation for SC/ST/OBC and More Backward Class (except creamy layer)/ Economically weaker section candidates of Rajasthan State.

6.1.1 Undergraduate, post graduate level of each faculty including law faculty and M.Phil. 16 percent, 12 percent, 21 percent, 5 percent and 10 percent seats will be reserved for SC/ST/OBC (except smooth layer)/OBC/Economically weaker section candidates respectively for admission.

Signature valid
MRITYUNJAY KUMAR PAREEK
02.07.2023 14:27:43
Digitally Signed By Mrityunjay Kumar Pareek

Govt. Letter for indicating the reserved categories Year 2019-20

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/आकाशि/प्रवेश नीति/19/58-59 दिनांकः 27 मई, 2019

प्राचार्य,
समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः राज्य सरकार की प्रवेश नीति एवं प्रवेश प्रक्रिया अकादमी सत्र 2019–20।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रवेश नीति एवं प्रवेश प्रक्रिया अकादमी सत्र 2019–20 आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर की वेबसाईट पर अपलोड कर दी गई है। जिसे वेबसाईट से डाउनलोड कर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रवेश नीति एवं प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत महाविद्यालय में प्रवेश कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित करें।

भवदीय,

(प्रदीप कुमार बोरड)
आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ठ शासन सचिव,
उच्च शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर।
2. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।

27/5/19
(डॉ० आर.सी. मीना)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

Principal
Smt. Kamla Devi Gauridutt Mittal
Mahila Mahavidyalaya
Sardarshahar

Signature valid
MRITYUNJAY KUMAR PAREEK
02.07.2023 14:27:43
Digitally Signed By Mrityunjay Kumar Pareek

Year 2019-20

षष्ठ भाग
आरक्षण, रियायतें एवं लाभ

6.1 राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व **अति पिछडा वर्ग (MBC)**(चिकनी परत को छोड़कर)/**आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो** के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण।

6.1.1 विधि संकाय सहित प्रत्येक संकाय की स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व **अति पिछडा वर्ग** (चिकनी परत को छोडकर)/**आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग** के अभ्यर्थियों के लिये कमशः 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 21 प्रतिशत, **5 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित** रहेंगे।

6.1.2 पिछड़ा वर्ग को प्राप्त 21 प्रतिशत आरक्षण में **अति** पिछड़ा वर्ग भी सम्मिलित है एवं इसके **अतिरिक्त अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत का अलग से स्थान देय है {संदर्भ कार्मिक (क–2) विभाग के आदेश कमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/2017 दिनांक 28.02.2019, राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के आदेश कमांक प.18(2)शिक्षा–4/2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019} /आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की पालना सुनिश्चित की जावे। {सन्दर्भ कार्मिक (क–2) विभाग के आदेश कमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/2019 दिनांक 22.02.2019, राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के आदेश कमांक प.18(2)शिक्षा–4/ 2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019}**

6.1.3 स्नातकोत्तर व एम. फिल कक्षाओं में आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रोस्टर प्रणाली लागू होगी।

6.1.4 आरक्षण संबधी लाभ के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट/उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर/तहसीलदार का राजस्थान राज्य की सेवाओं में आरक्षण का लाभ लेने हेतु जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6.1.5 ओ.बी.सी./एम.बी.सी. संबंधी प्रमाण–पत्र अधिकृत अधिकारी द्वारा एक बार ही जारी किया जाता है, परन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण–पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण–पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्षो में भी क्रीमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में स्वप्रमाणित शपथ–पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण–पत्र को ही मान लिया जावेगा। ऐसा अधिकतम् तीन वर्ष तक किया जा सकता है। (राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का आदेश क्रमांक एफ11( )( ) आर एण्ड पी/सा.न्या.अ.वि/12/7376–409 दि. 24.01.2013)

6.1.6 सामान्य प्रवेश स्तर तक अंक प्राप्त करके प्रवेश पाने वाले आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की गणना संबंधित आरक्षित नियतांश (कोटे) के अन्तर्गत नहीं की जायेगी। ये सभी सामान्य योग्यता सूची में सम्मिलित किये हुए माने जायेंगे।

6.1.7 6.1.6 के अनुसार प्रविष्ट विद्यार्थियों के अतिरिक्त आरक्षित वर्ग के शेष अभ्यर्थियों को अर्हकारी परीक्षा के प्रवेश योग्यता प्रतिशत को कम करते हुए वरीयता के निम्नगामी क्रम में आरक्षित नियतांश पूर्ण होने तक प्रवेश दिया जा सकेगा।

6.1.8 आरक्षित वर्ग हेतु आरक्षित स्थान प्रथमतः आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से ही भरे जायेंगे।

Principal
Smt Kamla Devi Gauridutt Mittal
Mahila Mahavidyalaya
Sardarshahar

Signature valid
MRITYUNJAY KUMAR PAREEK
02.07.2023 14:27:43
Digitally Signed By Mrityunjay Kumar Pareek

ENGLISH TRANSLATION OF ADMISSION POLICY 2019-20

Commissionerate College Education, Rajasthan, Jaipur

Number: F 7 (4) Acad /Com.Colg.Edu. / Admission Policy / 19/58-59 Date: 27 May ,2019

Principal,
All Government / Private Colleges,
Rajasthan.

Subject: State Government's admission policy and admission process for academic session 2019-20.

Sir,

According to the above mentioned instructions, the admission policy and admission procedure approved by the state government has been uploaded on the website of the Commissionerate College Education, Raj, Jaipur, for the academic session 2019-20. By downloading it from the website conduct the admission program smoothly in the college under the admission policy and admission process approved by the state government.

Yours sincerely,

(Pradeep Kumar Borad)
Commissioner College Education & Special Government Secretary, Higher Education, Rajasthan, Jaipur

Copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Assistant Director, Regional Office, College Education, Jaipur/Ajmer/Kota/Bikaner/Jodhpur / Udaipur.
2. Website Incharge, Commissionerate College Education, Raj, Jaipur.

Signature valid
MRITYUNJAY KUMAR PAREEK
02.07.2023 14:27:43
Digitally Signed By Mrityunjay Kumar Pareek

(Dr. R.C. meena)
Joint Director (Academic)

ENGLISH TRANSLATION HIGHLIGHTED MATTER IN ORIGNAL LETTER YEAR 2019-20

Part VI
Reservations, Concessions and Benefits

6.1 Reservation for SC/ST/OBC and More Backward Class (except creamy layer)/ Economically weaker section candidates of Rajasthan State.

6.1.1 Undergraduate, post graduate level of each faculty including law faculty and M.Phil. 16 percent, 12 percent, 21 percent, 5 percent and 10 percent seats will be reserved for SC/ST/OBC (except smooth layer)/OBC/Economically weaker section candidates respectively for admission.

Signature valid

MRITYUNJAY KUMAR PAREEK
02.07.2023 14:27:43
Digitally Signed By Mrityunjay Kumar Pareek

Smt. Kamla Devi Gauridutt Mittal Mahila Mahavidyalaya

Sardarshahar – 331403, Churu (Rajasthan)

Govt. Letter for indicating the reserved categories Year 2018-19

अति–आवश्यक

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/निकाशि/प्रवेश नीति/2016/1045 दिनांकः 25 मई, 2018

प्राचार्य,
समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः राज्य सरकार की प्रवेश नीति एवं अकादमी सत्र 2018–19 के लिए प्रवेश प्रक्रिया, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं छात्रवृत्ति कलैण्डर तथा शिक्षण दिवस सारणी ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य सरकार की प्रवेश नीति एवं अकादमी सत्र 2018–19 के लिए प्रवेश प्रक्रिया, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं छात्रवृत्ति कलैण्डर तथा शिक्षण दिवस सारणी आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर की वेबसाईट पर अपलोड कर दी गई है, जिसे वेबसाईट से डाउनलोड कर लिया जावे।

भवदीय,

अतिरिक्त आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/निकाशि/प्रवेश नीति/2016/1045 दिनांकः 25 मई, 2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर/ अजमेर/ कोटा/ बीकानेर/ जोधपुर/ उदयपुर ।
2. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।

25/5/18

(डॉ0 ज्योत्स्ना भारद्वाज)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

Principal
Smt. Kamla Devi Gauridutt Mittal
Mahila Mahavidyalaya
Sardarshahar

Signature valid
MRITYUNJAY KUMAR PAREEK
02.07.2023 14:27:43
Digitally Signed By Mrityunjay Kumar Pareek

Year 2018-19

षष्ठ भाग

आरक्षण, रियायतें एवं लाभ

6.1 राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर)/अति पिछडा वर्ग **(More Backward Class)** के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण

6.1.1 विधि संकाय सहित प्रत्येक संकाय की स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. के प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी परत को छोडकर) /अति पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये क्रमशः 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 21 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

6.1.2 अति पिछडा वर्ग **(More Backward Class)** के शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण के संबंध में कार्मिक विभाग (A-ग्रुप–II) राजस्थान सरकार की अधिसूचना F. 7 (1)DOP/A- II/2017, जयपुर दिनांक 21.12.2017 की पालना सुनिश्चित की जावें।

6.1.3 स्नातकोत्तर व एम. फिल कक्षाओं में आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रोस्टर प्रणाली लागू होगी।

6.1.4 आरक्षण संबंधी लाभ के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट/उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर का राजस्थान राज्य की सेवाओं में आरक्षण का लाभ लेने हेतु जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6.1.5 ओ.बी.सी./एम.बी.सी. संबंधी प्रमाण–पत्र अधिकृत अधिकारी द्वारा एक बार ही जारी किया जाता है, परन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण–पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण–पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्षों में भी क्रीमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में स्वप्रमाणित शपथ–पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण–पत्र को ही मान लिया जावेगा। ऐसा अधिकतम् तीन वर्ष तक किया जा सकता है। (राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का आदेश क्रमांक एफ11 ( ) ( ) आर एण्ड पी/सा.न्या.अ.वि/12/ 7376–409 दि. 24.01.2013)

6.1.6 सामान्य प्रवेश स्तर तक अंक प्राप्त करके प्रवेश पाने वाले आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की गणना संबंधित आरक्षित नियतांश (कोटे) के अन्तर्गत नहीं की जायेगी। ये सभी सामान्य योग्यता सूची में सम्मिलित किये हुए माने जायेंगे।

6.1.7 6.1.6 के अनुसार प्रविष्ट विद्यार्थियों के अतिरिक्त आरक्षित वर्ग के शेष अभ्यर्थियों को अर्हकारी परीक्षा के प्रवेश योग्यता प्रतिशत को कम करते हुए वरीयता के निम्नगामी क्रम में आरक्षित नियतांश पूर्ण होने तक प्रवेश दिया जा सकेगा।

6.1.8 आरक्षित वर्ग हेतु आरक्षित स्थान प्रथमतः आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से ही भरे जायेंगे।

6.1.9 यदि संबंधित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो ऐसे आरक्षित रिक्त स्थानों के लिए समाचार पत्र में विज्ञप्ति दी जाये जिसके लिए प्रवेश शुल्क जमा नहीं करवा सकने वाले उसी वर्ग के अभ्यर्थी भी पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।

6.1.10 यदि विज्ञप्ति के सात दिवस में कोई आवेदन पत्र नहीं आता है या कम आवेदन पत्र आते हैं तो अनुसूचित जाति के आरक्षित स्थानों को अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों से तथा अनुसूचित जन जाति के आरक्षित स्थानों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।इसके उपरान्त भी यदि किसी आरक्षित वर्ग के स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हें सामान्य वर्ग के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।

6.1.11 बारां जिले के किशनगंज एवं शाहबाद तहसील के सहरिया अभ्यर्थियों के लिए बारां जिले के राजकीय महाविद्यालय, केलवाडा में शासन उप सचिव, कार्मिक (क–2)विभाग, राजस्थान सरकार के निर्देश कमांक प. 13(20)कार्मिक/क–2/91पार्ट जयपुर, दिनांक 12.09.2007 के अनुसार तथा केलवाडा के अतिरिक्त अन्य राजकीय महाविद्यालयों में न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश दिया जायेगा।

6.1.12 महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के उपरान्त, यदि राज्य सरकार द्वारा सीटों/वर्गों की संख्या में वृद्धि की जाती है, तो उन बढ़ी हुई सीटों/वर्गों के लिए आरक्षण नियमों की पालना करते हुए पृथक प्रवेश सूची जारी की जायेगी।

6.1.13 प्रत्येक संकाय के स्नातक प्रथम भाग की प्रत्येक कक्षा में तथा स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. के प्रत्येक विषय/कक्षा में बिन्दु संख्या 6.1.1 से 6.1.11 के अनुसार स्थानों का आरक्षण किया जायेगा एवं तदनुसार पूर्ति की जायेगी।

6.2 दिव्यांग अभ्यर्थी (स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल.)

6.2.1 मूक, बधिर एवं दृष्टिबाधित (Blind) विद्यार्थियों को मनोवांछित महाविद्यालय में मनोवांछित संकाय में न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश दिया जायेगा। ऐसे प्रवेशित विद्यार्थियों की सीटें स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त मानी जावेगी एवं प्राचार्य अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश देने हेतु अधिकृत होंगे।

6.2.2 प्रत्येक संकाय में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों में 5 प्रतिशत स्थान दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु क्षैतिजवर्ती (HORIZONTAL) आरक्षण नियमों के अनुसार आरक्षित रहेंगे।

6.2.3 स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. में आरक्षण विषयवार होगा। जहां यह संख्या एक से भी कम हो, वहां भी कम से कम एक स्थान आरक्षित रहेगा। दिव्यांग अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रवेश की प्रथम सूची में इसे सामान्य अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।

Principal
Smt. Kamla Devi Gauridutt Mittal
Mahila Mahavidyalaya
Sardarshahar

Signature valid

MRITYUNJAY KUMAR PAREEK
02.07.2023 14:27:43
Digitally Signed By Mrityunjay Kumar Pareek

ENGLISH TRANSLATION OF ADMISSION POLICY 2018-19

Very-essential

Commissionerate College Education, Rajasthan, Jaipur

Number: F 7 (4) Acad /Pvt.Colg.Edu. / Admission Policy / 2016/1045 Date: 25 May ,2018

Principal,
All Government / Private Colleges,
Rajasthan.

Subject: State Government's admission policy and admission process for academic session 2018-19, cultural, literary and scholarship calendar and teaching day table.

Sir,

According to the above mentioned instructions, the admission policy of the state government approved by the state government and the admission process for the academic session 2018-19, cultural, literary and scholarship calendar and teaching day table have been uploaded on the website of Commissionerate College Education, Raj, Jaipur, which can be downloaded from the website.

Yours sincerely,

Additional Commissioner,
College Education, Raj, Jaipur

Number: F 7 (4) Acad / Pvt.Colg.Edu. / Admission Policy /2016/1045 Date: 25 May 2018

Copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Assistant Director, Regional Office, College Education, Jaipur/Ajmer/Kota/Bikaner/Jodhpur / Udaipur.
2. Website Incharge, Commissionerate College Education, Raj, Jaipur.

Signature valid
MRITYUNJAY KUMAR PAREEK
02.07.2023 14:27:43
Digitally Signed By Mrityunjay Kumar Pareek

(Dr. Jyotsna Bhar[illegible])
Joint Director (Academic)

ENGLISH TRANSLATION HIGHLIGHTED MATTER IN ORIGNAL LETTER YEAR 2018-19

Part VI
Reservations, Concessions and Benefits

6.1 Reservation for SC/ST/OBC (except creamy layer)/More Backward Class candidates of Rajasthan State.

6.1.1 Undergraduate, post graduate level of each faculty including law faculty and M.Phil. 16 percent, 12 percent, 21 percent and 1 percent seats will be reserved for SC/ST/OBC (except smooth layer)/OBC candidates respectively for admission.

Signature valid
MRITYUNJAY KUMAR PAREEK
02.07.2023 14:27:43
Digitally Signed By Mrityunjay Kumar Pareek

Smt. Kamla Devi Gauridutt Mittal Mahila Mahavidyalaya

Sardarshahar – 331403, Churu (Rajasthan)

Govt. Letter for indicating the reserved categories Year 2017-18

अति–आवश्यक

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/निकाशि/प्रवेश नीति/2016/ 664 दिनांकः 12 मई, 2017

प्राचार्य,
समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः राज्य सरकार की प्रवेश नीति एवं अकादमी सत्र 2017-18 के लिए प्रवेश प्रक्रिया, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं छात्रवृत्ति कलैण्डर तथा शिक्षण दिवस सारणी ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य सरकार की प्रवेश नीति एवं अकादमी सत्र 2017–18 के लिए प्रवेश प्रक्रिया, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं छात्रवृत्ति कलैण्डर तथा शिक्षण दिवस सारणी आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर की बेवसाईट पर अपलोड कर दी गई है, जिसे बेवसाईट से डाउनलोड कर लिया जावे।

भवदीय,

अतिरिक्त आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/निकाशि/प्रवेश नीति/2016/ 664 दिनांकः 12 मई, 2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर/ अजमेर/ कोटा/ बीकानेर/ जोधपुर/ उदयपुर ।
2. बेवसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।

(डा0 बन्दना चक्रवर्ती)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)

Principal
Smt. Kamla Devi Gauridutt Mittal
Mahila Mahavidyalaya
Sardarshahar

Signature valid
MRITYUNJAY KUMAR PAREEK
02.07.2023 14:27:43
Digitally Signed By Mrityunjay Kumar Pareek

Year - 2017 - 18

षष्ठ भाग
आरक्षण, रियायतें एवं लाभ

6.1 राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर)/विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण

6.1.1 विधि संकाय सहित प्रत्येक संकाय की स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. के प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी परत को छोडकर) /विशेष पिछडा वर्ग* के अभ्यर्थियों के लिये कमशः 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 21 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

6.1.2 पिछड़ा वर्ग को प्राप्त 21 प्रतिशत आरक्षण में विशेष पिछड़ा वर्ग भी सम्मिलित है एवं इसके अतिरिक्त विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत का अलग से स्थान देय हैं।

6.1.3 स्नातकोत्तर व एम. फिल कक्षाओं में आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रोस्टर प्रणाली लागू होगी।

6.1.4 आरक्षण संबंधी लाभ के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट/उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर/तहसीलदार का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6.1.5 ओ.बी.सी./**एस.बी.सी.** संबंधी प्रमाण–पत्र अधिकृत अधिकारी द्वारा एक बार ही जारी किया जाता है, परन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण–पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण–पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्षों में भी क्रीमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में स्वप्रमाणित शपथ–पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण–पत्र को ही मान लिया जावेगा। ऐसा अधिकतम् तीन वर्ष तक किया जा सकता है। (राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का आदेश क्रमांक एफ11 ( ) ( ) आर एण्ड पी/सा.न्या.अ.वि/12/ 7376–409 दि. 24.01.2013)

6.1.6 सामान्य प्रवेश स्तर तक अंक प्राप्त करके प्रवेश पाने वाले आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की गणना संबंधित आरक्षित नियतांश (कोटे) के अन्तर्गत नहीं की जायेगी। ये सभी सामान्य योग्यता सूची में सम्मिलित किये हुए माने जायेंगे।

6.1.7 6.1.6 के अनुसार प्रविष्ट विद्यार्थियों के अतिरिक्त आरक्षित वर्ग के शेष अभ्यर्थियों को अर्हकारी परीक्षा के प्रवेश योग्यता प्रतिशत को कम करते हुए वरीयता के निम्नगामी क्रम में आरक्षित नियतांश पूर्ण होने तक प्रवेश दिया जा सकेगा।

6.1.8 आरक्षित वर्ग हेतु आरक्षित स्थान प्रथमतः आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से ही भरे जायेंगे।

6.1.9 यदि संबंधित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो ऐसे आरक्षित रिक्त स्थानों के लिए समाचार पत्र में विज्ञप्ति दी जाये जिसके लिए प्रवेश शुल्क जमा नहीं करवा सकने वाले उसी वर्ग के अभ्यर्थी भी पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।

6.1.10 यदि विज्ञप्ति के सात दिवस में कोई आवेदन पत्र नहीं आता है या कम आवेदन पत्र आते हैं तो अनुसूचित जाति के आरक्षित स्थानों को अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों से तथा अनुसूचित जन जाति के आरक्षित स्थानों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।इसके उपरान्त भी यदि किसी आरक्षित वर्ग के स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हें सामान्य वर्ग के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।

6.1.11 बारां जिले के किशनगंज एवं शाहबाद तहसील के सहरिया अभ्यर्थियों को न्यूनतम उत्तीर्णांक पर संबंधित जिले के महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा।

6.1.12 महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के उपरान्त, यदि राज्य सरकार द्वारा सीटों/वर्गों की संख्या में वृद्धि की जाती है, तो उन बढ़ी हुई सीटों/वर्गों के लिए आरक्षण नियमों की पालना करते हुए पृथक प्रवेश सूची जारी की जायेगी।

6.1.13 प्रत्येक संकाय के स्नातक प्रथम भाग की प्रत्येक कक्षा में तथा स्नातकोत्तर स्तर एवं एम. फिल. के प्रत्येक विषय/कक्षा में बिन्दु संख्या 6.1.1 से 6.1.11 के अनुसार स्थानों का आरक्षण किया जायेगा एवं तदानुसार पूर्ति की जायेगी।

***टिप्पणी–** **उल्लेखित विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के आरक्षण के संबंध में, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के नवीनतम निर्देश प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी।**

Principal
Smt. Kamla Devi Gauridutt Mittal
Mahila Mahavidyalaya
Sardarshahar

Signature valid
MRITYUNJAY KUMAR PAREEK
02.07.2023 14:27:43
Digitally Signed By Mrityunjay Kumar Pareek

ENGLISH TRANSLATION OF ADMISSION POLICY 2017-18

Very-essential

Commissionerate College Education, Rajasthan, Jaipur

Number: F 7 (4) Acad /Pvt.Colg.Edu. / Admission Policy / 2016/664 Date: 12 May, 2017

Principal,
All Government / Private Colleges,
Rajasthan.

Subject: State Government's admission policy and admission process for academic session 2017-18, cultural, literary and scholarship calendar and teaching day table.

Sir,

According to the above mentioned instructions, the admission policy of the state government approved by the state government and the admission process for the academic session 2017-18, cultural, literary and scholarship calendar and teaching day table have been uploaded on the website of Commissionerate College Education, Raj, Jaipur, which can be downloaded from the website.

Yours sincerely,

Additional Commissioner,
College Education, Raj, Jaipur

Number: F 7 (4) Acad / Pvt.Colg.Edu. / Admission Policy /2016/664 Date: 12 May 2017

Copy is forwarded to the following for information and necessary action:-
1. Assistant Director, Regional Office, College Education, Jaipur/Ajmer/Kota/Bikaner/Jodhpur / Udaipur.
2. Website Incharge, Commissionerate College Education, Raj, Jaipur.

Signature valid
MRITYUNJAY KUMAR PAREEK
02.07.2023 14:27:43
Digitally Signed By Mrityunjay Kumar Pareek

(Dr. Vandana Chakravarti)
Joint Director (Academic)

ENGLISH TRANSLATION HIGHLIGHTED MATTER IN ORIGNAL LETTER YEAR 2017-18

Part VI

Reservations, Concessions and Benefits

6.1 Reservation for SC/ST/OBC (except creamy layer)/More Backward Class candidates of Rajasthan State.

6.1.1 Undergraduate, post graduate level of each faculty including law faculty and M.Phil. 16 percent, 12 percent, 21 percent and 5 percent seats will be reserved for SC/ST/OBC (except smooth layer)/OBC candidates respectively for admission.

Signature valid

MRITYUNJAY KUMAR PAREEK
02.07.2023 14:27:43
Digitally Signed By Mrityunjay Kumar Pareek

Smt. Kamla Devi Gauridutt Mittal Mahila Mahavidyalaya

Sardarshahar – 331403, Churu (Rajasthan)

Explanation note for admission extract submitted to the state OBC, SC and ST cell during the year 2017-18 to 2021-22 and approval of additional intake of students has to be submitted for the claim.

Tel. & Fax : 01564-220200
Web : www.mgcsrdr.com
Email : officekdgd@gmail.com

Smt. Kamla Devi Gauridutt Mittal Mahila Mahavidyalaya
Sardarshahar – 331403, Churu (Rajasthan)

Sponsored by Mittal Charities, Mumbai

Approved by NCTE & DCE, Raj. Affiliated To M.G.S. University, Bikaner & Recognized by UGC (2F & 12B)

Date :-01.07.2023

-: Explaination Note (2.1.2) :-

There is no provision of submission of admission extract to the State OBC, SC and ST cell in Rajasthan. Seats out of overall intake remains vacant every year so approval of additional intake not required in last five academic sessions.

(Dr. Mrityunjay Kumar Pareek)

Principal

Principal
Smt Kamla Devi Gauridutt Mittal
Mahila Mahavidyalaya
Sardarshahar

Signature valid
MRITYUNJAY KUMAR PAREEK
02.07.2023 14:27:43
Digitally Signed By Mrityunjay Kumar Pareek

Smt. Kamla Devi Gauridutt Mittal Mahila Mahavidyalaya

Sardarshahar – 331403, Churu (Rajasthan)

Admission Intake in Year - 2021-22

Smt. Kamla Devi Gauridutt Mittal Mahila Mahavidyalaya, Sardarshahar

Intake of Students - 2021-22

Programme name	Programme Code	Number of seats sanctioned	Number of Students admitted	Number of seats earmarked for reserved category as per GOI or State Government rule					Number of students admitted from the reserved category				
				SC	ST	OBC	Gen	Others	SC	ST	OBC	Gen	Others
B.A. Part-I	B.A. Part-I	320	119	51	38	67	131	32	15	0	79	25	0
B.A. Part-II	B.A. Part-II	320	90	51	38	67	131	32	1	0	58	31	0
B.A. Part-III	B.A. Part-III	320	81	51	38	67	131	32	3	1	40	37	0
B.Com. Part-I	B.Com. Part-I	160	26	26	19	34	66	16	0	0	9	17	0
B.Com. Part-II	B.Com. Part-II	160	18	26	19	34	66	16	1	0	8	9	0
B.Com. Part-III	B.Com. Part-III	160	23	26	19	34	66	16	1	0	7	15	0
B.Sc. Part-I	B.Sc. Part-I	140	43	22	17	29	57	14	2	0	31	10	0
B.Sc. Part-II	B.Sc. Part-II	140	30	22	17	29	57	14	0	0	21	9	0
B.Sc. Part-III	B.Sc. Part-III	140	39	22	17	29	57	14	2	0	29	8	0
B.A.B.Ed.-I	B.A.B.Ed.-I	50	50	8	6	11	21	5	11	2	27	10	0
B.A.B.Ed.-II	B.A.B.Ed.-II	50	47	8	6	11	21	5	6	0	25	16	0
B.A.B.Ed.-III	B.A.B.Ed.-III	50	48	8	6	11	21	5	8	0	32	8	0
B.Sc.B.Ed.-I	B.Sc.B.Ed.-I	50	40	8	6	11	21	5	3	3	18	16	0
B.Sc.B.Ed.-II	B.Sc.B.Ed.-II	50	42	8	6	11	21	5	6	2	24	10	0
B.Sc.B.Ed.-III	B.Sc.B.Ed.-III	50	42	8	6	11	21	5	3	2	26	11	0
M.A-Pre. (Geography)	M.A-Pre. (Geography)	40	14	6	5	8	16	4	2	0	7	5	0
M.A-Final (Geography)	M.A-Final (Geography)	40	15	6	5	8	16	4	4	0	8	3	0
M.Com-Pre. (ABST)	M.Com-Pre. (ABST)	40	0	6	5	8	16	4	0	0	0	0	0
M.Com-Final (ABST)	M.Com-Final (ABST)	40	0	6	5	8	16	4	0	0	0	0	0

Principal
Smt. Kamla Devi Gauridutt Mittal
Mahila Mahavidyalaya
Sardarshahar

Signature valid

MRITYUNJAY KUMAR PAREEK
02.07.2023 14:27:43
Digitally Signed By Mrityunjay Kumar Pareek

Smt. Kamla Devi Gauridutt Mittal Mahila Mahavidyalaya

Sardarshahar – 331403, Churu (Rajasthan)

Admission Intake in Year – 2020-21

Smt. Kamla Devi Gauridutt Mittal Mahila Mahavidyalaya, Sardarshahar

Intake of Students - 2020-21

Programme name	Programme Code	Number of seats sanctioned	Number of Students admitted	Number of seats earmarked for reserved category as per GOI or State					Number of students admitted from the reserved category				
				SC	ST	OBC	Gen	Others	SC	ST	OBC	Gen	Others
B.A. Part-I	B.A. Part-I	320	86	51	38	67	131	32	1	0	55	30	0
B.A. Part-II	B.A. Part-II	320	83	51	38	67	131	32	3	1	41	38	0
B.A. Part-III	B.A. Part-III	320	108	51	38	67	131	32	5	0	63	40	0
B.Com. Part-I	B.Com. Part-I	160	22	26	19	34	66	16	1	0	11	10	0
B.Com. Part-II	B.Com. Part-II	160	24	26	19	34	66	16	1	0	7	16	0
B.Com. Part-III	B.Com. Part-III	160	37	26	19	34	66	16	1	0	9	27	0
B.Sc. Part-I	B.Sc. Part-I	140	30	22	17	29	57	14	0	0	21	9	0
B.Sc. Part-II	B.Sc. Part-II	140	42	22	17	29	57	14	2	0	30	10	0
B.Sc. Part-III	B.Sc. Part-III	140	61	22	17	29	57	14	3	0	28	30	0
B.A.B.Ed.-I	B.A.B.Ed.-I	50	48	8	6	11	21	5	4	0	27	17	0
B.A.B.Ed.-II	B.A.B.Ed.-II	50	48	8	6	11	21	5	7	0	10	31	0
B.Sc.B.Ed.-I	B.Sc.B.Ed.-I	50	47	0	0	0	0	0	7	2	22	16	0
B.Sc.B.Ed.-II	B.Sc.B.Ed.-II	50	42	0	0	0	0	0	3	1	6	32	0
M.A-Pre. (Geography)	M.A-Pre. (Geography)	40	19	6	5	8	16	4	3	0	13	3	0
M.A-Final (Geography)	M.A-Final (Geography)	40	18	6	5	8	16	4	1	0	10	7	0
M.Com-Pre. (ABST)	M.Com-Pre. (ABST)	40	0	6	5	8	16	4	0	0	0	0	0
M.Com-Final (ABST)	M.Com-Final (ABST)	40	11	6	5	8	16	4	1	0	2	8	0

Principal
Smt. Kamla Devi Gauridutt Mittal
Mahila Mahavidyalaya
Sardarshahar

Signature valid

MRITYUNJAY KUMAR PAREEK
02.07.2023 14:27:43
Digitally Signed By Mrityunjay Kumar Pareek

Smt. Kamla Devi Gauridutt Mittal Mahila Mahavidyalaya

Sardarshahar – 331403, Churu (Rajasthan)

Admission Intake in Year – 2019-20

Smt. Kamla Devi Gauridutt Mittal Mahila Mahavidyalaya, Sardarshahar

Intake of Students - 2019-20													
Programme name	Programme Code	Number of seats sanctioned	Number of Students admitted	Number of seats earmarked for reserved category as per GOI or State					Number of students admitted from the reserved category				
				SC	ST	OBC	Gen	Others	SC	ST	OBC	Gen	Others
B.A. Part-I	B.A. Part-I	320	123	51	38	67	131	32	5	1	61	56	0
B.A. Part-II	B.A. Part-II	320	113	51	38	67	131	32	9	0	67	37	0
B.A. Part-III	B.A. Part-III	320	119	51	38	67	131	32	10	0	63	46	0
B.Com. Part-I	B.Com. Part-I	160	25	26	19	34	66	16	1	0	8	16	0
B.Com. Part-II	B.Com. Part-II	160	36	26	19	34	66	16	1	0	8	27	0
B.Com. Part-III	B.Com. Part-III	160	61	26	19	34	66	16	2	0	32	27	0
B.Sc. Part-I	B.Sc. Part-I	140	44	22	17	29	57	14	2	0	31	11	0
B.Sc. Part-II	B.Sc. Part-II	140	62	22	17	29	57	14	3	0	29	30	0
B.Sc. Part-III	B.Sc. Part-III	140	62	22	17	29	57	14	3	1	38	20	0
B.A.B.Ed.-I	B.A.B.Ed.-I	50	48	8	6	11	21	5	7	0	31	10	0
B.Sc.B.Ed.-I	B.Sc.B.Ed.-I	50	42	8	6	11	21	5	3	1	32	6	0
M.A-Pre. (Geography)	M.A-Pre. (Geography)	40	19	6	5	8	16	4	1	0	11	7	0
M.A-Final (Geography)	M.A-Final (Geography)	40	26	6	5	8	16	4	1	0	10	15	0
M.Com-Pre. (ABST)	M.Com-Pre. (ABST)	40	11	6	5	8	16	4	1	0	2	8	0
M.Com-Final (ABST)	M.Com-Final (ABST)	40	10	6	5	8	16	4	0	0	1	9	0

Principal
Smt. Kamla Devi Gauridutt Mittal
Mahila Mahavidyalaya
Sardarshahar

Signature valid

MRITYUNJAY KUMAR PAREEK
02.07.2023 14:27:43
Digitally Signed By Mrityunjay Kumar Pareek

Smt. Kamla Devi Gauridutt Mittal Mahila Mahavidyalaya

Sardarshahar – 331403, Churu (Rajasthan)

Admission Intake in Year – 2018-19

Smt. Kamla Devi Gauridutt Mittal Mahila Mahavidyalaya, Sardarshahar

Intake of Students - 2018-19

Programme name	Programme Code	Number of seats sanctioned	Number of Students	Number of seats earmarked for					Number of students admitted				
				SC	ST	OBC	Gen	Others	SC	ST	OBC	Gen	Others
B.A. Part-I	B.A. Part-I	320	159	51	38	67	131	32	5	1	75	78	0
B.A. Part-II	B.A. Part-II	320	116	51	38	67	131	32	10	0	61	45	0
B.A. Part-III	B.A. Part-III	320	122	51	38	67	131	32	11	1	68	42	0
B.Com. Part-I	B.Com. Part-I	160	38	26	19	34	66	16	0	0	17	21	0
B.Com. Part-II	B.Com. Part-II	160	65	26	19	34	66	16	0	0	35	30	0
B.Com. Part-III	B.Com. Part-III	160	40	26	19	34	66	16	0	0	15	25	0
B.Sc. Part-I	B.Sc. Part-I	140	69	22	17	29	57	14	0	0	33	36	0
B.Sc. Part-II	B.Sc. Part-II	140	64	22	17	29	57	14	2	1	38	23	0
B.Sc. Part-III	B.Sc. Part-III	140	35	22	17	29	57	14	1	0	21	13	0
BCA Part -III	BCA Part -III	40	12	6	5	8	16	4	0	0	5	7	0
M.Sc.-Final (CS)	M.Sc.-Final (CS)	20	14	3	2	4	8	2	0	0	6	8	0
M.A-Pre. (Geography)	M.A-Pre. (Geography)	40	29	6	5	8	16	4	0	0	14	15	0
M.A-Final (Geography)	M.A-Final (Geography)	40	22	6	5	8	16	4	2	0	9	11	0
M.Com-Pre. (ABST)	M.Com-Pre. (ABST)	40	10	6	5	8	16	4	0	0	3	7	0
M.Com-Final (ABST)	M.Com-Final (ABST)	40	12	6	5	8	16	4	0	0	5	7	0

Principal
Smt. Kamla Devi Gauridutt Mittal
Mahila Mahavidyalaya
Sardarshahar

Signature valid

MRITYUNJAY KUMAR PAREEK
02.07.2023 14:27:43
Digitally Signed By Mrityunjay Kumar Pareek

Admission Intake in Year – 2017-18

Smt. Kamla Devi Gauridutt Mittal Mahila Mahavidyalaya, Sardarshahar

Intake of Students - 2017-18

Programme name	Programme Code	Number of seats sanctioned	Number of Students	Number of seats earmarked for					Number of students admitted				
				SC	ST	OBC	Gen	Others	SC	ST	OBC	Gen	Others
B.A. Part-I	B.A. Part-I	320	159	51	38	67	131	32	16	0	86	57	0
B.A. Part-II	B.A. Part-II	320	126	51	38	67	131	32	12	1	69	44	0
B.A. Part-III	B.A. Part-III	320	150	51	38	67	131	32	7	0	84	59	0
B.Com. Part-I	B.Com. Part-I	160	81	26	19	34	66	16	2	0	41	38	0
B.Com. Part-II	B.Com. Part-II	160	44	26	19	34	66	16	1	0	14	29	0
B.Com. Part-III	B.Com. Part-III	160	54	26	19	34	66	16	0	0	24	30	0
B.Sc. Part-I	B.Sc. Part-I	140	74	22	17	29	57	14	4	1	41	28	0
B.Sc. Part-II	B.Sc. Part-II	140	36	22	17	29	57	14	1	0	21	14	0
BCA Part -II	BCA Part -II	40	12	6	5	8	16	4	0	0	5	7	0
BCA Part -III	BCA Part -III	40	10	6	5	8	16	4	0	0	6	4	0
M.Sc.-Pre. (CS)	M.Sc.-Pre. (CS)	20	13	3	2	4	8	2	0	0	8	5	0
M.Sc.-Final (CS)	M.Sc.-Final (CS)	20	4	3	2	4	8	2	0	0	3	1	0
M.A-Pre. (Geography)	M.A-Pre. (Geography)	40	24	6	5	8	16	4	2	0	10	12	0
M.A-Final (Geography)	M.A-Final (Geography)	40	31	6	5	8	16	4	2	0	18	11	0
M.Com-Pre. (ABST)	M.Com-Pre. (ABST)	40	14	6	5	8	16	4	0	0	6	8	0
M.Com-Final (ABST)	M.Com-Final (ABST)	40	7	6	5	8	16	4	0	0	4	3	0

Principal
Smt Kamla Devi Gauridutt Mittal
Mahila Mahavidyalaya
Sardarshahar

Signature valid

MRITYUNJAY KUMAR PAREEK
02.07.2023 14:27:43
Digitally Signed By Mrityunjay Kumar Pareek